ग्रामीण क्रेडिट : भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और मजबूत संस्थागत ढांचे से गांवों तक पहुंच रही आसान वित्तीय सुविधा

नई दिल्ली, 16 जुलाई भारत में ग्रामीण क्रेडिट व्यवस्था ग्रामीण विकास और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है. किसानों, छोटे कारोबारियों, ग्रामीण उद्यमियों और परिवारों को खेती, रोजगार, निवेश और घरेलू जरूरतों के लिए समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में ग्रामीण ऋण प्रणाली अहम भूमिका निभा रही है.

सहकारी बैंक छोटे किसानों और कमजोर वर्गों तक ऋण पहुंचाने का प्रमुख माध्यम हैं. इनमें राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं .स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों और कमजोर वर्गों को कम लागत वाली बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती, पशुपालन, डेयरी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराती है.

पिछले कुछ दशकों में भारत की ग्रामीण ऋण व्यवस्था अनौपचारिक उधारी से आगे बढ़कर एक मजबूत संस्थागत प्रणाली में बदल गई है. आज वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , सहकारी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पहुंचाने का काम कर रहे हैं.सरकारी योजनाओं, डिजिटल तकनीक और वित्तीय समावेशन अभियानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण की पहुंच लगातार बढ़ रही है. इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर और समय पर वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे कृषि उत्पादन, रोजगार और छोटे व्यवसायों को नई गति मिल रही है.

भारत की ग्रामीण क्रेडिट प्रणाली में पिछले वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और छोटे कारोबारी साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों पर अधिक निर्भर रहते थे. अब बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी योजनाओं के कारण औपचारिक ऋण व्यवस्था मजबूत हुई है.

निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क सात रुपए बढ़ाया

नयी दिल्ली, 16 जुलाई सरकार ने निर्यात किये जाने वाले पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क की दरों में बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, नयी दरें 16 जुलाई जुलाई से प्रभावी हो गयी हैं. निर्यात वाले डीजल और एटीएफ पर उत्पाद शुल्क सात-सात रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है. वहीं, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गयी है. अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात होने वाले पेट्रोल पर गुरुवार से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क चार रुपये प्रति लीटर से कम करके 1.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है. डीजल पर एसएईडी 8.50 रुपये के बढ़ाकर 15.50 रुपये और विमान ईंधन पर 7.50 रुपये से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

पेट्रोलियम निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव

घरेलू ईंधन आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर

निर्यात से अतिरिक्त लाभ कमा सकती हैं भारतीय रिफाइनरियां

डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. इससे कंपनियों को घरेलू बाजार में अधिक आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं, पेट्रोल पर शुल्क में कटौती से रिफाइनरी कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी. वैश्विक बाजार में जारी अनिश्चितताओं के बीच सरकार के ये नीतिगत बदलाव घरेलू ईंधन व्यवस्था को स्थिर रखने और अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद कर सकते हैं.

नई दिल्ली, 16 जुलाई सरकार के इस फैसले का देश के आम उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा. घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों या शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यह कर केवल उन पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होता है जिन्हें भारतीय रिफाइनरी कंपनियां विदेशों में निर्यात करती हैं. इसलिए घरेलू वाहन चालकों और उद्योगों के लिए मौजूदा ईंधन कीमतों में तत्काल बदलाव की संभावना नहीं है.

सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के दौरान भारतीय रिफाइनरियां निर्यात से अतिरिक्त लाभ कमा सकती हैं. ऐसे में निर्यात पर अतिरिक्त कर लगाकर इस असाधारण लाभ को नियंत्रित किया जाता है. इस कदम का एक प्रमुख उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना भी है.

श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय बना वैश्विक आयुर्वेद

हरिद्वार, 16 जुलाई: हरेला पर्व के पावन अवसर पर देश के एकमात्र हर्बल वर्ल्ड 'श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय' में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वृहद् पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया. इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृहद पौधरोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि 'श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय' आयुर्वेद के जनक और आरोग्य के शाश्वत प्रतीक भगवान धन्वंतरि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है. इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी ने कहा कि यह इकाई हर्बल जगत में दुनिया का पहला जीवंत उद्यान होगी जहाँ विविध भौगोलिक क्षेत्रों से पौधे एकत्रित किए जाएँगे. स्वामी जी ने कहा कि 'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' केवल वनस्पतियों का केंद्र नहीं है; यह वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चेतना का एक आंदोलन है. वहीं, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि इस धाम में 9 चिकित्सा पद्धतियाँ और विश्व की लगभग 964 चिकित्सा विद्याएँ को समाहित किया गया है. 'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' एक ऐतिहासिक पहल तथा अतीत व भविष्य के बीच एक सेतु है. मुख्य अतिथि श्री धामी ने कहा कि हम यहाँ एक उद्यान अथवा एक संस्थान की चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वामी रामदेव जी महाराज तथा आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के उस महान संकल्प, विराट दृष्टि और सभ्यतागत चेतना के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं, जो भारत की हजारों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है.

'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चेतना का आंदोलन : स्वामी रामदेव- कार्यक्रम में स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा कि 'श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय' आचार्य बालकृष्ण जी की दूरगामी सोच तथा अखण्ड-प्रचण्ड प्रयास का परिणाम है. यह इकाई हर्बल जगत में दुनिया का पहला जीवंत उद्यान होगी जहाँ विविध भौगोलिक क्षेत्रों से पौधे एकत्रित किए जाएँगे. स्वामी जी ने कहा कि 'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' केवल वनस्पतियों का केंद्र नहीं है. यह वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चेतना का एक आंदोलन है. यह हमें याद दिलाता है कि यदि हम प्रकृति को बचाएँगे, तभी प्रकृति हमें बचा पाएगी.

वीआईटी भोपाल में जीएनएसएस रिसीवर स्थापित

आयनोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

सीहोर, 16 जुलाई भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक सहयोगात्मक पहल के तहत वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी में आयनोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम के अवलोकन के लिए अपनी 'उत्तर-दक्षिण आयनोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम अवलोकन श्रृंखला' के अंतर्गत जीएनएसएस रिसीवर प्रणाली स्थापित की है.

यह अत्याधुनिक सुविधा विश्वविद्यालय की अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इसके माध्यम से वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष मौसम, स्वदेशी नेविगेशन तकनीकों और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा. स्थापित किया गया जीएनएसएस रिसीवर आयनोस्फीयर से जुड़े महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी करने में सक्षम होगा. इसमें कुल इलेक्ट्रॉन सामग्री , आयनोस्फेरिक झिलमिलाहट, संकेत क्षरण, संपर्क समाप्ति और भूमध्यरेखीय प्रक्रियाओं के साथ-साथ सूर्य एवं भू-चुंबकीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले गतिशील आयनोस्फेरिक विक्षोभ का अध्ययन शामिल है.

वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 में स्थापित एक बहुविषयक विश्वविद्यालय है, जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समूह की विरासत को आगे बढ़ा रहा है. 300 एकड़ में फैले हरित परिसर में विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित करता है .विश्वविद्यालय में सभी शिक्षक डॉक्टरेट योग्यता रखते हैं.

चीन की सैंदक खदान पर गहराया संकट

नई दिल्ली, 16 जुलाई पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन द्वारा संचालित सैंदक तांबा और सोना खदान परियोजना पर संकट मंडराने लगा है.

लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बढ़ती हिंसक घटनाओं के कारण परियोजना संचालित करने वाली कंपनी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो अगले एक महीने के भीतर खदान का उत्पादन पूरी तरह बंद करना पड़ सकता है.

बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठनों द्वारा चीन समर्थित परियोजनाओं को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है. सैंदक मेटल्स लिमिटेड ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि सुरक्षा चुनौतियों के कारण परियोजना के लिए जरूरी कच्चा माल, उपकरण और अन्य आवश्यक सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. इससे खदान का संचालन प्रभावित हो रहा है

सैंदक कॉपर-गोल्ड परियोजना वर्ष 2001 से चीन की सरकारी कंपनी मेटालर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना और पाकिस्तान की सरकारी कंपनी सैंदक मेटल्स लिमिटेड के संयुक्त संचालन में चल रही है. यह पाकिस्तान की प्रमुख तांबा और सोना खदान परियोजनाओं में शामिल है.

पोस्ट ऑफिस योजना से हर महीने पाएं तय कमाई

मासिक आय के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प

जानें ब्याज और रिटर्न का पूरा गणित

नई दिल्ली, 16 जुलाई अगर आप अपनी बचत पर हर महीने नियमित आय चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना एक लोकप्रिय विकल्प हो सकती है. यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयोगी मानी जाती है जो बाजार के उतार-चढ़ाव से बचते हुए सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं.

इस योजना में एकमुश्त निवेश करके हर महीने ब्याज के रूप में आय प्राप्त की जा सकती है. पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में निवेश की गई राशि पर सरकार द्वारा तय ब्याज दर के अनुसार मासिक भुगतान मिलता है. वर्तमान में इस योजना पर 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर उपलब्ध है. हालांकि ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है,

इसलिए निवेश से पहले नवीनतम दरों की पुष्टि करना जरूरी है पोस्ट ऑफिस की यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए आकर्षक है जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय चाहते हैं या अपनी बचत से हर महीने निश्चित रकम प्राप्त करना चाहते हैं. इसमें निवेश की अवधि पांच साल होती है और ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है. अगर कोई निवेशक इस योजना में अधिकतम सीमा तक निवेश करता है तो उसे तय ब्याज दर के आधार पर हर महीने एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में मिलती है.

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में कोई भी पात्र भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. इसमें व्यक्तिगत खाते के अलावा संयुक्त खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध होती है.

सेंसेक्स शुरुआती तेजी के बाद हुआ बंद

मुंबई, 16 जुलाई विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को बिकवाली हावी रही, हालांकि आईटी और ऑटो सेक्टरों में लिवाली से प्रमुख सूचकांक लगभग सपाट बंद हुए.

बीएसई का सेंसेक्स 203 अंक की मजबूती के साथ खुलने के बाद दोपहर तक बढ़त में बना रहा. दोपहर बाद बिकवाली का दबाव बढ़ने से सूचकांक अंत में मात्र 1.44 अंक ऊपर 77,186.87 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी दोपहर तक हरे निशान में रहने के बाद बिकवाली के दबाव में 5.75 प्रतिशत यानी 0.02 फीसदी टूटकर 24,072.75 अंक पर आ गया. वृहत बाजार में बिकवाली देखी गयी. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.29 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.10 प्रतिशत नीचे बंद हुआ.

NAME CHANGE

I **AMATULLAH D/O ZOEB KURBAN HUSSAIN** HEAR BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS **AMATULLAH ZOEB HUSSAIN D/O ZOEB KURBAN HUSSAIN** SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **AMATULLAH ZOEB HUSSAIN D/O ZOEB KURBAN HUSSAIN**

ADDRESS: 5-6, ABHINANDAN MAIN ROAD MANDSAUR

Change of name

I, Seema Lokesh Pandagare, wife of Mr. Lokesh Kumar Pandagare, residing at 504, Dwarka Palace, Near Samar Park Colony, Nipania, Indore – 452010, do hereby solemnly declare that before my marriage I was known as Seema Bapurao Mankar (सीमा बापुराव मानकर).After my marriage, I have changed my name and I am now known as Seema Lokesh Pandagare (सीमा लोकेश पंडागरे). Henceforth,both names refer to one and the same person.

वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड WESTERN CAP

क्षेत्रीय कार्यालय : ऑफिस नं. 203, ओम गुरुदेव प्लाजा, सावित्री एम्पायर, सयाजी होटल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) - 452010.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वेस्टर्न केपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस दिनांक **20.04.2026** को जारी किया था । इसके तहत लोन खाता संख्या **WRLMH-H-UJJ0101250738** के संबंध में **1) श्री कमल जीवन सिंह (उधारकर्ता) और 2) श्रीमती प्रियंका कमल सिंह (सह-उधारकर्ता)** को नोटिस में उल्लिखित राशि **रुपये 22,48,351/- (रुपये बाईस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ इकावन मात्र),** जो कि **दिनांक 08.04.2026 तक** देय थी, उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

चूँकि उधारकर्ता उक्त राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ताओं एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज **सोमवार, दिनांक 13/07/2026** को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ताओं एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें, और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन वेस्टर्न केपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में **रुपये 22,48,351/- (रुपये बाईस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ इकावन मात्र)** की राशि **दिनांक 08.04.2026 तक** और उस पर पूर्ण भुगतान होने तक लगने वाले आगे के ब्याज, दंडात्मक ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चों के अधीन होगा।

उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने (Redeem) के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उक्त संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो सर्वे मकान संपत्ति नं. 118 है, जो पी.एम. नं. 02, ग्राम कुलाला, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) - 453220 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2502 वर्ग फीट है और निर्मित/निर्माण क्षेत्र 1550 वर्ग फीट है, **जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार हैं:** पूर्व : सड़क, पश्चिम: सड़क, उत्तर: कमल सिंह की भूमि, दक्षिण: जीवन सिंह का मकान

स्थान : देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 13/07/2026 **तर्फे वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड**

वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड WESTERN CAP

क्षेत्रीय कार्यालय : ऑफिस नं. 203, ओम गुरुदेव प्लाजा, सावित्री एम्पायर, सयाजी होटल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) - 452010.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **वेस्टर्न केपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस दिनांक **20.04.2026** को जारी किया था । इसके तहत ऋण खाता संख्या **WRLMH-H-UJJ0106252114** के संबंध में **1) श्री ईश्वर माधव सिंह (उधारकर्ता) और 2) सुगनबाई ईश्वर सिंह (सह-उधारकर्ता)** को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर बकाया राशि **रुपये 31,75,536.65 (रुपये इकतीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ छत्तीस एवं पैंसठ पैसे मात्र),** जो कि **दिनांक 08.04.2026 तक** देय थी, आगे के ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चों सहित चुकाने के लिए कहा गया था।

चूँकि उधारकर्ता वैधानिक अवधि के भीतर उक्त राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, अत: उधारकर्ताओं एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज **सोमवार, दिनांक 13/07/2026** को यहाँ नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ताओं एवं आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे इस सुरक्षित संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें, और सुरक्षित संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन वेस्टर्न केपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में **रुपये 31,75,536.65 (रुपये इकतीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ छत्तीस और पैंसठ पैसे मात्र)** की राशि **दिनांक 08.04.2026 तक** की वसूली और उस पर पूर्ण भुगतान होने तक लगने वाले आगे के ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चों के अधीन होगा।

उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) का ध्यान सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उक्त संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो प्लाट /मकान संपत्ति है, जो सर्वे नं. 688/2, पटवारी हल्का नं. 97, खसरा नं. 668/2, ग्राम खरपा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6500 वर्ग फीट है, भूतल निर्मित क्षेत्र 2520 वर्ग फीट है एवं खुला क्षेत्र 3980 वर्ग फीट है, **जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार हैं:** पूर्व : सड़क, पश्चिम: ईश्वर सिंह की कृषि भूमि, उत्तर: गंगा राम का मकान, दक्षिण: राधे श्याम का प्लाट

स्थान : तराना, उज्जैन **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 13/07/2026 **तर्फे वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड**

CBM AGRISCIENCES (INDIA) PVT. LTD.

Ward No. 04, Kasrawad Road, Bediya, Block Warhaha, Dist. Khargone (M.P.)

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **CBM AGRISCIENCES (INDIA) PVT. LTD.** hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -

(1) N.P.K. (19:19:19) (MICRO POWER 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (MICRO POWER 13:40:13)
(3) N.P.K. 12:06:33) (MICRO POWER 12:06:33)
(4) N.P.K. (16:08:24) (MICRO POWER 16:08:24)
(5) N.P.K. (28:14:06) (MICRO POWER 28:14:06)
(6) N.P.K (12:32:08) (MICRO POWER 12:32:08)
(7) N.P.K. (06:54:17) (MICRO POWER 06:54:17)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

Mobile : 9826299262

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)

ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 51/सिविल/26-27/ग्रुप नं-01 से ग्रुप नं-09 तक **निविदा आमंत्रण** **दिनांक:** 13.07.2026

केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR, DATE 08-11-2025/NON SOR/ BUILDING SOR DATE-02-08-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_520960_1	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 66 के अन्तर्गत स्कीम नं. 101 म.नं. 08 से 02 गोपाल बाग एवं आसपास की गलियों में पेव्हर ब्लॉक लगाना एवं रिफिक्सिंग करना। (पार्षद निधि)	120 दिवस ₹10,96,988/-	₹2,000/- ₹8,300/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
02	2026_UAD_520961_1	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 39 के अन्तर्गत हबीब कॉलोनी में तामीर कम्यूनिटी हॉल के पास वाली गली में पार्षद निधि से सीमेन्ट कांक्रीट करना।	120 दिवस ₹11,35,820/-	₹2,000/- ₹8,600/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
03	2026_UAD_520962_1	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 09 के अन्तर्गत पेनजॉन कॉलोनी में जाम वाली बैक लाईन गली में एवं आसपास की गली में सिमेन्टीकरण करना। (पार्षद निधि)	120 दिवस ₹14,95,940/-	₹2,000/- ₹11,300/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
04	2026_UAD_520963_1	झोन क्र. 18 वार्ड क्र. 52 के अन्तर्गत रवि नगर, खाती मोहल्ला, अलका पुरी एवं आस पास सिमेन्टीकरण करना। (पार्षद निधि)	180 दिवस ₹29,60,672/-	₹5,000/- ₹22,300/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
05	2026_UAD_520964_1	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 61 के अन्तर्गत जबरन कॉलोनी की विभिन्न गलियों में सिमेन्टीकरण करना। (पार्षद निधि)	180 दिवस ₹32,45,290/-	₹5,000/- ₹24,400/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
06	2026_UAD_520965_1	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 62 के अन्तर्गत व्यासफला छोटा शनि मंदिर वाली गली में सिमेन्टीकरण करना। (पार्षद निधि)	180 दिवस ₹34,90,555/-	₹5,000/- ₹26,200/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
07	2026_UAD_520966_1	झोन क्र. 11 के अन्तर्गत शासकीय भवनों में आवश्यक संधारण एवं मरम्मत कार्य करना।	120 दिवस ₹14,95,069/-	₹2,000/- ₹11,300/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
08	2026_UAD_520967_1	झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 25 के अन्तर्गत नंदा नगर में स्थित शा. कन्या उ.मा. विद्यालय नेहरु नगर इन्दौर भवन परिसर में टीन शेड का निर्माण, भवन निर्माण, फ्लोरिंग, शौचालय-मूत्रालय एवं अन्य कार्य करना।	180 दिवस ₹38,52,786/-	₹5,000/- ₹28,900/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026
09	2026_UAD_520969_1	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 46 के अन्तर्गत गोटू महाराज की चाल में स्थित सामुदायिक भवन की मरम्मत, रंगाई पुताई एवं आवश्यक सिविल कार्य करना।	120 दिवस ₹12,50,030/-	₹2,000/- ₹9,400/-	14-08-2026 6.00 PM 17-08-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
(जनकार्य विभाग)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

ROHA HOUSING FINANCE GROW WITH YOUR OWN HOME

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस : युनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.

उज्जैन शाखा:- 301, 302, तीसरी मंजिल, पाटीदार टॉवर, वरुचि मार्ग, शहीद पार्क के पास, फ्रीगंज, उज्जैन - 456010 (मध्य प्रदेश)

प्राधिकृत अधिकारी: रवि बघेल - 9907777747, संदीप सोनी - 8819999203

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सिक्युटराईजेशन एण्ड रिकन्सटक्शन ऑफ फायनेंशियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बकाया धनराशि की वसूली हेतु निम्न वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, जो कि भौतिक आधिपत्य में है, के **''जहाँ है, जैसी है और जो है''** के आधार पर क्रय हेतु सीलबंध लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार (लोन नं. / शाखा)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)
1	**लोन नं.:** HLUJNCSCON000005017170/ शाखा: उज्जैन सर्विस **1. बाबू लाल गुर्जर 2. सुशीला बाई गुर्जर** **दोनों का पता:** मकान नंबर 108 वार्ड नंबर 17 ग्राम मेरखेड़ी टोंकखुर्द, देवास, म.प्र.- 455116	14-07-2025 & ₹ 4,40,698/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण सर्वे. नंबर 100/2 पर स्थित मकान, क्षेत्रफल 1804 वर्ग फीट, पटवारी हल्का नंबर 63, ग्राम मेरखेड़ी, तहसील टोंक-खुर्द, जिला देवास, म. प्र.-455116	₹ 11,18,800/-	₹ 1,11,880/-
2	**लोन नं.:** HLINDRSCON000005017144 / शाखा: इंदौर क्लस्टर **1. भागीरथ सिंह गुर्जर** **2. संतोष बाई पति भागीरथ** **दोनों का पता:** ग्राम पिपल्याकुमार, सिदीखेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश-455115	14-07-2025 & ₹ 6,69,794/-	**संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण** प्लॉट नंबर 242, सर्वे नंबर 242, पटवारी हल्का नंबर 81, क्षेत्रफल 2152.78 वर्ग फीट, ग्राम पिपल्याकुमार, 3 पता दस्तावेज़ अनुसार तह. टोंकखुर्द, जिला देवास, म. प्र.-455118	₹ 9,65,900/-	₹ 96,590/-
3	**